अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मंडल, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांक :– एफ 5 (105)प्राशिमं/सामान्य/2009–10/ दिनांक

प्रधानाचार्य,
मण्डल से संबद्ध समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (संलग्न सूची अनुसार)
द्वारा ई मेल।

विषय :– पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में रैगिंग की रोकथाम के संबंध में।

महोदय,

दिनांक 28.08.12 को एंटी रैगिंग मोनिटरिंग सेल की बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि आप पूर्व में प्रेषित परिपत्र क्रमांक एफ 5(रैगिंग)/प्राशिनि./ई–2/7080–7140 दिनांक 13.08.09 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप रैगिंग की रोकथाम के संबंध में तत्काल प्रभावी आवश्यक कार्यवाही करें,। परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार संस्थान में एंटी रैगिंग कमेटी एवं एंटी रैगिंग स्कवाड का गठन एवं रैगिंग की रोकथाम के संबंध में दिये गये अन्य निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब सूचित करें।

पूर्व में प्रेषित परिपत्र क्रमांक एफ 5(रैगिंग)/प्राशिनि./ई–2/7080–7140 दिनांक 13.08.09 की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु आपको पुनः प्रेषित की जा रही है। परिपत्र मण्डल की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

उपरोक्त के संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि गठित की गई एंटी रैगिंग कमेटी एवं एंटी रैगिंग स्कवाड की गतिविधियों के तिमाही प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें एवं आवश्यकता होने पर प्रकरण तात्कालिक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में लावें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

-sd-

संयुक्त निदेशक एवं सचिव
(अध्यक्ष ऐंटी रैगिंग मोनिटरिंग सेल)

क्रमांक :– एफ 5 (105)प्राशिमं/सामान्य/2009–10/ 5293 दिनांक 29 AUG 2012
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
2. संयुक्त निदेशक, (ई–2), प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
3. श्री पुखराज पालीवाल, को ई मेल करने हेतु।
4. नोडल अधिकारी को मण्डल की वेब साईट पर अपलोड करवाने हेतु।

संयुक्त निदेशक एवं सचिव
(अध्यक्ष ऐंटी रैगिंग मोनिटरिंग सेल)